संख्या–125/चौवालिस–1/62-73/77

प्रेषक,

श्री अरविन्द वर्मा,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

राज्य के समस्त सार्वजनिक उद्योगों/
निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशकगण।

सार्वजनिक उद्योग ब्यूरो अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 27 अप्रैल, 1982

विषयः–– सार्वजनिक उद्योगो/निगमों द्वारा अपने अधिकारियों को विदेशों में आयोजित प्रशिक्षक सेमिनार आदि में भाग लेने अथवा संस्थान/निगम के कार्य से विदेश भेजने के प्रस्ताव पर पूर्वानुमोदन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय शासनादेश संख्या–1512/चौवालिस–1–1980–73/77, दिनांक 23 अक्टूबर, 1980 का कृपया संदर्भ लें, जिसके प्रस्तर–2 में ऐसे निगम जिन्हें विदेशों में निर्माण कार्य ठेके पर प्राप्त होता है तथा इन ठेकों के कार्यान्वयन हेतु अपने अधिकारियों को विदेश में तैनात करना पड़ता है, को उक्त प्रस्तर में इंगित प्रतिबन्धों के अधीन उक्त विषयक शासन के अर्धशासकीय व पत्र संख्या–2444/ब्यूरो–73/77, दिनांक 8 अगस्त, 1977 में अंकित प्रक्रिया से छूट प्रदान की गई थी।

2– शासन को यह अवगत कराया गया है कि कुछ सार्वजनिक उद्यमों को अपने अधिकारियों को विदेशों में ठेका प्राप्त करने के सिलसिले में निविदायें देने, स्थल निरीक्षण और बाद में निगोसिएशन के लिये बहुधा विदेश भेजना पड़ता है तथा समय इतना कम रहता है कि अगर तुरन्त कार्यवाही न की जाय तो ठेके से वंचित रह जाने की संभावना रहती है। शासन को यह भी अवगत कराया गया है कि ऐसे मामलों में मौजूदा शासनादेशों के अनुसार शासन की पूर्व अनुमति आवश्यक है, जिसे, अल्प समय के कारण प्राप्त करना संभव और व्यावहारिक नहीं रहता है।

3– शासन ने इस विषय पर सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया है कि दिनांक 23 अक्टूबर, 1980 के संदर्भित शासनादेश के प्रस्तर–2 में अंकित परिस्थितियों के अतिरिक्त विदेश में ठेका प्राप्त करने के सिलसिले में निविदायें देने, स्थल निरीक्षण और निगोसिएशन के लिये अगर तात्कालिक आवश्यकतानुसार किसी अधिकारी को विदेश भेजना आवश्यक हो तो उद्यम के अध्यक्ष की अनुमति से कार्यवाही की जा सकती है तथा मामला निदेशक मण्डल के विचारार्थ अगली बैठक में प्रस्तुत किया जाय। यह भी आवश्यक होगा कि विदेश यात्रा का प्रस्ताव पत्रावली में पूरे विवरण के साथ अध्यक्ष/निदेशक मण्डल को प्रस्तुत किया जाय और विदेश से वापसी पर सम्बन्धित अधिकारी द्वारा भ्रमण टिप्पणी प्रेषित की जाय, जिसें लक्ष्य के विपरीत यात्रा की उपब्धियाँ दी जायें।

4– यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त व्यवस्था केवल प्रस्तर–2 में वर्णित परिस्थितियों में लागू होगी और अन्य मामलों में उक्त विषयक अर्धशासकीय पत्र संख्या–2444/ब्यूरो–73/77 दिनांक 8 अगस्त, 1977 में उल्लिखित व्यवस्था लागू रहेगी।

भवदीय,
[अरविन्द वर्मा]
सचिव।

संख्या–125/चौवालिस–1/82-73/77, तद्विषयक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– सार्वजनिक निगमों/उद्योगों से सम्बन्धित शासन के समस्त सचिव एवं विशेष सचिव।
2– प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य सेतु निगम लिमिटेड, 16 मदन मोहन मालवीय मार्ग, लखनऊ को उनके पत्र संख्या–46–ई–एस–बी–/628–एस–बी–सी–/77-81, दिनांक जनवरी 11, 1982 के संदर्भ में।

आज्ञा से,
[अरविन्द वर्मा]
सचिव।